रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227438
SG-DL-E-10062021-227438

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]	**दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2021/ज्येष्ठ 18, 1943**	**[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 41**
No. 154]	**DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2021/JYAISTHA 18, 1943**	**[N. C. T. D. No. 41**

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

xg ifyl&AA ¼foHkkx½

dk;ky; mik;Dr ifyl% ;krk;kr% vk/kfudhdj.k % fnYyh

vf/klpuk

दिल्ली, 8 जून, 2021

l-Qk- 20@4@2003@x-i-&AA@1324.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सड़कों पर तेज गति से मोटर वाहनों का अनियंत्रित चलना मोटर चालकों के साथ—साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं/यात्रियों के जीवन को खतरे में डाल रहा है ।

और जबकि, मोटर चालकों के साथ—साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सड़कों पर मोटर वाहनों की गति को विनियमित करना आवश्यक है ।

मैं, सत्यवान गौतम, उपायुक्त पुलिस/यातायात (आधुनिकीकरण), दिल्ली, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 28 (1) (बी) के साथ पठित दिल्ली सड़कों व गलियों में वाहनों और अन्य यातायात नियन्त्रण विनियम – 1980 की धारा 9 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एत्द द्वारा दिल्ली की सड़कों पर विभिन्न प्रकार के मोटर यानों के लिए अधिकतम गति सीमा (जहां सड़क की स्थिति अनुमति देती है) को संशोधित करता हूँ, जैसा कि

नीचे बताया गया हैः—

क्रम संख्या	सड़क / सड़क खंड का नाम	अधिकतम गति सीमा कि. मी. प्रति घंटा में			
		एम1' प्रवर्ग यान (कार, जीप, टैक्सी / कैब)	दो पहिया	एम2'' और एम3'' (एलएमवी) प्रवर्ग यान	सभी परिवहन यान, ग्रामीण सेवा, टीएसआर, फट–फट सेवा, क्वाड्रिसाइकिल और एन''' प्रवर्ग यान सहित {एम1, एम2 और एम3 (एलएमवी) प्रवर्ग यानों को छोड़कर}
1	एनएच–48 (पूर्व में एनएच–8), परेड रोड / गुड़गॉव रोड क्रॉसिंग से दिल्ली गुड़गॉव बॉर्डर तक	70	60	60	40
2	डीएनडी फ्लाईओवर – मयूर विहार लिंक रोड	70	60	60	40
3	एनएच–44 (पूर्व में एनएच–1), सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर तक	70	60	60	40
	एन एच–44 (पूर्व में एन एच–1), संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से मुकरबा चौक तक	60	60	60	40
	एन एच–44 (पूर्व में एन एच–1), मुकरबा चौक से आजादपुर चौक तक	50	50	50	40
4	बारापुल्लाह नाला रोड, सराय काले खां से अरबिंदो मार्ग क्रॉसिंग तक	60	60	60	40
5	नोएडा टोल रोड (दिल्ली की ओर से टोल गेट तक सीधा रास्ता और टोल गेट से उन जगहों तक जहां तक घुमाव रहता है)	70	60	60	40
	बाकी टोल रोड यानी घुमाव	50	50	50	40
6	रिंग रोड चंदगी राम अखाड़ा से आजादपुर फ्लाईओवर वाया आईएसबीटी, राजघाट, आईटीओ, सराय काले खां, आश्रम चौक, एम्स, धौला कुआं / नारायणा, पंजाबी बाग	60	60	60	40
	रिंग रोड आजादपुर से चंदगी राम अखाड़ा वाया मॉडल टाउन, किंग्सवे कैंप, माल रोड	50	50	50	40
7	सलीमगढ बाईपास रोड (रिंग रोड बाईपास)	70	60	60	40
8	बाहरी रिंग रोड मोदी मिल फ्लाईओवर से ओलोफ पाल्मे मार्ग – एनएच–48 (पूर्व में एनएच–8) क्रॉसिंग वाया मुनिरका	60	60	60	40
9	बाहरी रिंग रोड, डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी से चंदगी राम अखाड़ा तक वाया पीरागढी, मुकरबा चौक बुरारी क्रासिंग	60	60	60	40

10	एनएच–9 (पूर्व में एनएच 24), मिलेनियम पार्क से गाजीपुर बॉर्डर तक	70	60	60	40
11	पुश्ता रोड (मार्जिनल बंध रोड), नोएडा बॉर्डर (चिल्ला रेगुलेटर) से न्यू गीता कॉलोनी ग्रेड सेपरेटर तक वाया अक्षरधाम फ्लाईओवर	60	60	60	40
12	एनएच–9 (पूर्व मे एनएच 10) पंजाबी बाग से घेवरा क्रासिंग तक	50	50	50	40
	एनएच–9 (पूर्व मे एनएच 10), घेवरा क्रासिंग से टिकरी बॉर्डर तक	70	60	60	40
13	नॉर्दर्न एक्सेस रोड, एनएसजी रेड लाइट से नॉर्दर्न एक्सेस रोड के टी–पॉइंट और सेंट्रल स्पाइन तक	70	60	60	40
14	सेंट्रल स्पाइन रोड, महिपालपुर चौक से टर्मिनल–3, आईजीआई एयरपोर्ट तक	70	60	60	40
15	रैडिसन रोड, टी–पॉइंट रैडिसन होटल से टर्मिनल–3, आईजीआई एयरपोर्ट तक	60	60	60	40
16	टर्मिनल–2, आईजीआई एयरपोर्ट रोड टर्मिनल–2 के टी–पॉइंट और सेंट्रल स्पाइन से टर्मिनल–2, आईजीआई एयरपोर्ट तक	60	60	60	40
17	रिंग रोड और आउटर रिंग रोड के बीच के क्षेत्रों कीं सभी मुख्य सड़कें, बाहरी रिंग रोड से परे, रिंग रोड के अंदर और संपूर्ण ट्रांस यमुना क्षेत्र (उन सड़कों को छोड़कर जिनका विशेषरूप से तालिका में उल्लेख किया गया है)	50	50	50	40
18	सभी आवासीय क्षेत्रों / वाणिज्यिक बाजारों के अंदर की सभी छोटी सड़कें और सर्विस रोड / सर्विस लेन	30	30	30	30
19	फ्लईओवर के लूप	40			

* एम1 प्रवर्ग यानः– ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है।

** एम2 और एम3 प्रवर्ग यानः– ऐसे मोटर यान (एलएमवी–7.5 टन तक), जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटों के यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है ।

*** एन प्रवर्ग यानः– ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है ।

यदि गति, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकतम गति के पांच प्रतिशत के अंदर पाई जाती है, तो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 183 के अधीन गति सीमाओं के अतिक्रमण का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा ।

यह अधिसूचना दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा समय–समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सड़कों पर गति सीमा की घोषणा कें संबंध में दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा जारी सभी पिछले आदे"ाों/अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करती है ।

आम जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और इसकी एक प्रति समस्त जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालयों तथा तमाम थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर चिपकाई जाएगी।

संबंधित नागरिक सड़क अनुरक्षण एजेंसियां सड़क उपयोगकर्ताओं / आम जनता के मार्गदर्शन और सुविधा के लिए

अपने अधिकार क्षेत्र में सड़कों/सड़क खंडों पर सभी प्रमुख स्थानों पर गति सीमाओं को दर्शाने वाले संबंधित सूचनात्मक साइन बोर्ड स्थापित करेंगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 08/06/2021 को जारी किया गया ।

सत्यवान गौतम, उपायुक्त पुलिस, यातायात (आधुनिकीकरण), दिल्ली

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE: TRAFFIC (MOD.): DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 8th June, 2021

F. No. 20/4/2003/HP-II/1324.—Whereas unregulated plying of motor vehicles on a high speed on the roads of NCT of Delhi is endangering the life of motorists as well as other road users/commuters.

And whereas, it is necessary to regulate the speed of motor vehicles on the roads of NCT of Delhi for safety of motorists as well as other road users.

I, Satyawan Gautam, Deputy Commissioner of Police/Traffic (Modernization), Delhi in exercise of the powers, conferred upon me u/s 28(1) (b) of Delhi Police Act, 1978 read with Rule 9 (1) of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Streets Regulations, 1980 do hereby revise the maximum speed limit (where road condition permits) for various type of motor vehicles on Delhi roads as mentioned below:—

Sl. No.	Name of Road / Road Stretch	Maximum Speed in Kmph			
		M1* Category vehicles (Cars, Jeep, Taxis / Cabs)	Two Wheelers	M2** Category Vehicles and M3** (LMVs)	All Transport Vehicles [excluding M1 / M2 & M3 (LMVs) Category vehicles] including Gramin Sewa, TSRs, Phat-PhatSewa, Quadricycle & N*** Category vehicles
1.	NH-48 (Earlier NH-8) from Parade Road / Gurgaon Road Crossing to Delhi Gurgaon Border	70	60	60	40
2.	DND Flyover – Mayur Vihar Link Road	70	60	60	40
3.	NH-44 (Earlier NH-1) from Singhu Border to Sanjay Gandhi Transport Nagar	70	60	60	40
	NH-44 (Earlier NH-1) from Sanjay Gandhi Transport Nagar to Mukarba Chowk	60	60	60	40
	NH-44 (Earlier NH-1) from Mukarba Chowk to Azadpur Chowk	50	50	50	40
4.	Barapulla Nallah Road from Sarai Kale Khan upto Aurobindo Marg Xing	60	60	60	40
5.	Noida Toll Road (The straight stretch from Delhi side upto Toll Gates and from the Toll Gate upto the points where curves lasts)	70	60	60	40
	Rest of the Toll Road i.e. curves	50	50	50	40

6.	Ring Road from Chandgi Ram Akhara to Azadpur Flyover via ISBT, Rajghat, ITO, Sarai Kale Khan, Ashram Chowk, AIIMS, DhaulaKuan / Naraina, Punjabi Bagh	60	60	60	40
	Ring Road from Azadpur to Chandgi Ram Akhara via Model Town, Kingsway Camp, Mall Road	50	50	50	40
7.	Saleemgarh Bypass Road (Ring Road Bypass)	70	60	60	40
8.	Outer Ring Road from Modi Mill Flyover upto Olaf Palme Marg-NH-8 Xing via Munirka	60	60	60	40
9.	Outer Ring Road from District Centre Janakpuri via Peeragarhi, Mukarba Xing via Burari Xing upto Chandgi Ram Akhara	60	60	60	40
10.	NH-9 (Earlier NH-24) from Millennium Park to Gazipur Border	70	60	60	40
11.	Pushta Road (Marginal Bandh Road) from Noida Border (Chilla Regulator) to New Geeta Colony Grade Separator via Akshardham Flyover	60	60	60	40
12.	NH-9 (Earlier NH-10) from Punjabi Bagh to Ghevra Xing	50	50	50	40
	NH-9 (Earlier NH-10) from Ghevra Xing to Tikri Border	70	60	60	40
13.	Northern Access Road from Red Light NSG to T-Point of Northern Access & Central Spine	70	60	60	40
14.	Central Spine Road from Mahipalpur Chowk to Terminal-III, IGI Airport	70	60	60	40
15.	Radisson Road from T-Point Radisson Hotel to Terminal-III, IGI Airport	60	60	60	40
16.	Terminal-II, IGI Airport Road from T-point of Terminal-II Road and Central Spine to Terminal-II, IGI Airport	60	60	60	40
17.	All arterial roads in areas between Ring Road and Outer Ring Road, beyond Outer Ring Road, inside Ring Road and entire Trans Yamuna area (except roads which are specifically mentioned in the table)	50	50	50	40
18.	All minor roads inside all Residential Areas / Commercial Markets and service roads / service lanes	30	30	30	30
19.	Loops of the flyovers	40			

* M1 Category vehicles:- Motor vehicles used for carriage of passengers comprising not more than eight seats in addition to the driver's seat.

** M2 & M3 Category vehicles:- Motor vehicles (LMVs - upto 7.5 tonne) used for carriage of passengers comprising nine or more seats in addition to the driver's seat.

*** N Category vehicles:- Motor vehicles used for carriage of goods.

No cognizance of the violation of the speed limit shall be taken under section 183 of the Motor Vehicles Act, 1988, if the speed detected is within 5 percent of the maximum speed specified in this notification.

This notification supersedes all previous orders/notifications issued by Delhi Traffic Police regarding declarations of speed limits on the roads of NCT of Delhi from time to time.

This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi.

The concerned civic road maintaining agencies shall erect the corresponding informatory sign boards indicating the speed limits at all prominent locations on the road / road stretches in their areas of jurisdiction for guidance and convenience of the road users / general public.

This order shall come into force with immediate effect**.**

Given under my hand and seal of this office on **08/06/2021.**

SATYAWAN GAUTAM, Deputy Commissioner of Police, Traffic (MOD.), Delhi

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM